



राजस्थान सरकार
कार्यालय परियोजना निदेशक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना
(राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग)

email:pd.rghs@rajasthan.gov.in

डी-ब्लॉक, द्वितीय तल, वित्त भवन, जनपथ, ज्योति नगर, जयपुर - 302005

Ph. No. 0141-2740252

No:F.1(240)RGHS/C/22-23/ 2587

Date: 21-09-2022

समस्त राजकीय एवं
निजी अनुमोदित चिकित्सालय

विषय :- आरजीएचएस के अन्तर्गत चिकित्सा परामर्श के संबंध में।

संदर्भ :- इस कार्यालय का पत्रांक F.1(240)RGHS/C/22-23/2433-38, दिनांक 09.09.2022 ।

इस कार्यालय के पत्रांक F.1(240)RGHS/C/22-23/2433-38, दिनांक 09.09.2022 के द्वारा समस्त राजकीय एवं आरजीएचएस अनुमोदित निजी चिकित्सालयों को निर्देशित किया गया था कि चिकित्सकों द्वारा अपने संबंधित विभाग (Speciality/Department) के अन्तर्गत ही दवाईयां एवं जांचें परामर्श की जावें।

उक्त निर्देशों में आंशिक संशोधन करते हुए राजकीय चिकित्सा ईकाइयों हेतु उक्त संदर्भित निर्देशों में शिथिलता प्रदान करते हुए पूर्व व्यवस्था यथावत रखी जाती है। यद्यपि निजी अनुमोदित चिकित्सा ईकाइयों के लिए पत्रांक F.1(240)RGHS/C/22-23/2433-38, दिनांक 09.09.2022 द्वारा निर्देशित व्यवस्था प्रभावी रहेगी।

(शिप्रा विक्रम)

परियोजना निदेशक, आरजीएचएस

No:F.1(240)RGHS/C/22-23/ 2588 - 2593

Date: 21-09-2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. विशेषाधिकारी, आरजीएचएस, जयपुर।
3. संयुक्त परियोजना निदेशक (सतर्कता/दावा इकाई), आरजीएचएस, जयपुर।
4. लेखा शाखा/भुगतान शाखा, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना, जयपुर।
5. क्षेत्रीय प्रबंधक, एमडी इण्डिया हेल्थ टीपीए, जयपुर।
6. समस्त सहकारी दवा भण्डार एवं निजी अनुमोदित फॉर्मा स्टोर्स (समस्त)।

(सुरेश कुमार मीणा)

संयु0 परि0 निदेशक, आरजीएचएस